Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2024: 8.058,
https://www.srjis.com/issues_data/240
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL, OCT-NOV 2024, VOL-12/66

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक चिंतन की प्रासंगिकता

डॉ0 डोरी लाल

सह आचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा विभाग (आई0 ए0 एस0 ई0), शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामियॉ (केंद्रीय विश्वविद्यालय) - नई दिल्ली

Paper Received On: 21 October 2024

Peer Reviewed On: 25 November 2024

Published On: 01 December 2024

Abstract

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का शैक्षिक चिंतन प्रमाणिकता के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की बुनयादी बातों को समाहित करता है, जैसे- पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, बहुभाषावाद, समावेशन, रोजगारपरक तथा नैतिकतापरक शिक्षा। प्लेटो का विचार था कि किसी भी राज्य का निर्माण कंक्रीट और पेड़-पौधों से नहीं होता है, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इन मूल्यवान और उच्च चरित्रवान व्यक्तियों के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा ही लोकतान्त्रिक जीवन के मूल्यों और संस्कृति को संस्कारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय शिक्षाविदों जैसे फुले, गांधी, टैगोर, राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, मालवीय, अरविंदो, और विवेकानंद ने भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। हालांकि, डॉ. अम्बेडकर ने अपने बौद्धिक कौशल और व्यवहारिकता पूर्ण कार्यों से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है और जनमानस को अंदर तक प्रभावित किया है। लेकिन उनके शैक्षिक चिंतन को विभिन्न शाखाओं में समुचित रूप से रेखांकित नहीं किया गया है। उन्होंने अपने आचरण, भाषणों, लेखों और पुस्तकों में शिक्षा और उसके उद्देश्यों की व्यापक चर्चा की है, जिससे एक लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नागरिक का नैतिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास होता है। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय, समता, समानता और लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना एक नागरिक में शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। प्रस्तुत आलेख, डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक चिंतन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करने का एक प्रयास है।

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव रामजी 'अम्बेडकर' आधुनिक भारत के नीति-निर्माताओं में से एक हैं। एक साधारण और वंचित परिवार में जन्मे डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो आज भी किसी साधारण व्यक्ति के लिए दूर की कौड़ी हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपने छात्र जीवन में उच्च शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में अद्वितीय मानदंड स्थापित किये। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टर इन फिलॉसोफी की उपाधियाँ प्राप्त कीं। आधुनिक भारत में डॉ अम्बेडकर को सबसे शिक्षित लोगों की श्रेणी में गिना जाता है। उनकी अर्थशास्त्र पर व्यापक समझ, समाज के ताने-बाने की सूझ-बूझ और विद्वता कौशल ने उन्हें एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, वक्ता, लेखक, पत्रकार, कानूनविद और समाजशास्त्री के रूप में स्थापित किया है। उनका अध्ययन क्षेत्र केवल अर्थशास्त्र और कानून तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, समाजशास्त्र, राजनीति

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

शास्त्र, धर्म और दर्शन जैसे विषयों पर भी उनका पूरा अधिकार था । उनके जीवन चरित्र पर बुद्ध, फुले, साहूजी महाराज, ड्यूवी, एल्विन सेलिगमैन और बुकर टी. वाशिंगटन जैसे महान विचारकों का गहरा प्रभाव रहा है । अम्बेडकर के विचारों में शिक्षा की महत्वाकांक्षा और समतामूलक समाज की अमिट छाप झलकती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हुई प्रतीत होती है (मीना, 2017)। उन्होंने सदैव अपने विचारों (लिखित और मौख़िक) के माध्यम से भारतीय समाज में न्याय और समानता के लिए शिक्षा के महत्व को समझाया । डॉ. अम्बेडकर अपने आप में शैक्षिक दर्शन और सामाजिक न्याय की प्रतिमूर्ति हैं । डॉ अम्बेडकर ने लोगों के जीवन-स्तर उठाने लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र माना है, वे 'शिक्षा को शेरनी का दूध'कहते थे । उनका नारा भी था- 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो । दलितोत्थान के लिए उनके द्वारा किये गए प्रयासों के कारण, शिक्षा संबंधी उनके विचारों का सही रूप में रेखांकन नहीं हो पाया है । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केवल सिद्धांत निर्माण ही नहीं किया, बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं में उन सिद्धांतों को व्यावहारिकता के साथ धरातल लाया जाए, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है ।

डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक चिंतन

डॉ. अम्बेडकर को आज भी अधिकाँश लोग एक महान राजनीतिज्ञ, कानूनविद और अछूतोद्धारक मानते हैं किन्तु उन्होंने मानव जीवन और समाज की प्राण वायु के रूप में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह भारतीय संविधान का सैद्धान्तिक आधार बना । जहाँ एक ओर लोगों ने राजनैतिक क्षेत्र में उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना वहीं दूसरी तरफ वे सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा बनकर उभरे और अपने इस कार्य में उन्होंने शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया । डॉ.अम्बेडकर ने सदैव वर्णाश्रम का विरोध किया और शिक्षा को प्रगति का मूल आधार बताया । उन्होंने बुद्धिवाद के व्यावहारिक पक्ष का अनुभव कर, कठिनाइयों से गुजर कर जो मार्ग अपने लिए प्रशस्त किया, वही मार्ग यथार्थ में उनके शैक्षिक चिंतन का आधार बना । उनके अनुसार शिक्षित समाज में जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव एवं मानवतावाद की शिक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिये, जिससे किसी भी स्तर पर किसी के साथ भेदभाव न हो सके अर्थात 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' । डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा होना चाहिए, जिससे मानव-मानव सभी के मध्य एकता और सम्यक सम्बन्धों के विकास को बल मिल सके । अम्बेडकर शिक्षा को पारलौकिक मूल्य स्थापन की जगह वास्तविक समाजोपयोगी मूल्यों के सृजन व स्थापन का अस्त्र मानते थे, साथ ही नवीन चुनौती से लड़ने की योग्यता विकसित करने का साधन । वे शिक्षा को व्यक्ति में सदगुणों का विकास और सामाजिक न्याय व समानता के सिद्धान्त का साधन मानते थे । समतामूलक समाज उनकी प्राथमिकताओं में से एक था ।

डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक चिंतन के प्रमुख सिद्धांत

अम्बेडकर ने शिक्षा की कल्पना विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, समझ और पारस्परिक सम्मान के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में की । जिससे लोकतान्त्रिक राष्ट्र का ताना-बाना मजबूत बना रहे । उनका शैक्षिक चिन्तन बराबरी, सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, नैतिकता, सशक्तिकरण आदि के

सिद्धांतों पर आधारित है । जैसे-जैसे भारत प्रगति करता रहेगा, अम्बेडकर के आदर्शों का पुनर्स्थापित करना यह सुनिश्चित करेगा कि समावेशी विकास का उनका सिद्धांत आज भी कितना उपयोगी और टिकाऊ है । अम्बेडकर के शैक्षिक चिन्तन को जीवित रखने के लिए उनके चिन्तन का सम्मान करना होगा और और उसको कार्यान्वित करने का प्रयास जारी रखना होगा । यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारत के निरंतर विकास को संबर्धित करता रहेगा । भारतीय लोकतंत्र में अम्बेडकर के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को स्वीकारते हुए और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत का पालन करते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है । इसी क्रम में शिक्षा के बारे डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख शैक्षिक सिद्धान्तों पर चर्चा की गयी है –

सामाजिक उत्थान का सिद्धान्त

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'सामाजिक उत्थान', व्यक्ति को स्वयं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का वाहक बनाने पर बल देता है । डॉ. अम्बेडकर जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक और आर्थिक विषमता, लिंग असमानता आदि के कट्टर विरोधी थे । अम्बेडकर के अनुसार, भारत में सभी धर्म और सामाजिक तंत्र उपरोक्त सामाजिक बुराइयों से पीड़ित हैं । भारतीय समाज के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन-संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है । समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण बंधुता वाले समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर का योगदान सर्वोपरि है । वे भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता और सामाजिक अन्याय को रूढ़िवादिता और अशिक्षा का कारण मानते थे । उनका मानना था कि 'शिक्षा न केवल प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण औज़ार भी ।' इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नि.)- 2020 ने भी सभी के लिए समतामूलक और समावेशी शिक्षा को अनिवार्य करने की पहल की है ।

भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धान्त

डॉ. अम्बेडकर, जॉन ड्यूवी के शिक्षा के लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे । वे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे, इसकी छाप आप भारतीय संविधान में देख सकते है । डॉ अम्बेडकर का विश्वास था कि भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता के कारण भारत के लोगों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय तक शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा है, जो देश की प्रगति के लिए अत्यंत घातक है । डॉ. अम्बेडकर का मत था कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण है, और किसी को किसी भी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । इसलिए एक लोकतांत्रिक देश को अपने समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए । इसी क्रम में रा.शि.नि.-2020 ने भी विषमतावादी शिक्षा की ओर पहल की है। जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

नैतिक और चरित्र निर्माण का सिद्धान्त

डॉ. अम्बेडकर ने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि माना । वे शिक्षा को समृद्धि का साधन के साथ-साथ नैतिक और चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण अंग मानते थे । डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, नैतिक मूल्य विहीन शिक्षा को कदापि शिक्षा नहीं कहा जा सकता, ऐसी शिक्षा मनुष्य नहीं पशु पैदा करती है । शिक्षा को वे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, राजनीतिक विकास के साथ साथ सार्वभौमिक विकास का संवाहक मानते थे । उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर लोगों को शिक्षित करने में नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को उचित स्थान नहीं दिया जाता है, तो ऐसा शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए अनुप्रयोगी ही होगा और अपने अनैतिक कार्यों से समाज को दूषित करने का प्रयास करेगा । 12 फरवरी, 1938 को बॉम्बे प्रांत के दलित वर्ग युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'चरित्र और विनम्रता के बिना एक शिक्षित व्यक्ति जानवर से भी अधिक खतरनाक है, नैतिक और चरित्रिक मूल्य विहीन शिक्षा गरीबी उन्मूलन के लिए घातक होगी । ऐसी ही सोच के साथ रा.शि.नि.-2020 को आगे बढ़ाया गया है जो छात्रों के चरित्र निर्माण और नैतिक जीवन मूल्य सहित समग्र विकास पर केन्द्रित शिक्षा की संकल्पना को उजागर करती है । यह नीति छात्रों को संस्कारवान बनाते हुए भारतीयता की मूल भावना से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है ।

वैज्ञानिकता और स्वच्छता का सिद्धान्त

डॉ. अम्बेडकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने जीवन के सभी पहलुओं में कारण, साक्ष्य और आलोचनात्मक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला है । उनका मानना था कि किसी भी बात को इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो कालान्तर से चली आ रही है अपितु उसे सत्यता और वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखना चाहिए। वे वैज्ञानिक सोच समाज की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक समझते थे । उन्होंने सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में अनुभवजन्य साक्ष्यों के उपयोग की वकालत की । डॉ. अम्बेडकर प्राथमिक स्तर से ही वैज्ञानिक शैक्षिक गतिविधियों के पक्षधर थे । डॉ अम्बेडकर, अरस्तू के सिद्धांत "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मष्तिष्क का वास होता है' के भी प्रबल समर्थक रहे हैं । उनके अनुसार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनमें साफ-सफाई की आदत और शारीरिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । समाज के दलित और वंचित वर्गों के बच्चों के बारे में उनका मानना था कि, "ऐसे बच्चों के लिए पहला पाठ नहा-धोकर स्वच्छ रहना, दूसरा पाठ साफ-सुथरा संतुलित भोजन होना चाहिए । इसके लिए स्कूलों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि बाकी बच्चे सबक ले सकें ।" रा.शि.नि.-2020, स्कूली पाठ्यक्रम में स्वच्छता, साफ़-सफ़ाई, वैज्ञानिक सोच, पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण-आधारित सीखने के लिए पथ प्रशस्त करती दिखती है और प्रत्येक विषय में इन मुद्दों की अनिवार्यता पर बल देती है ।

धार्मिक दृष्टिकोण का सिद्धान्त

व्यक्तिगत जीवन में अम्बेडकर धर्म के नाम पर सामाजिक अन्याय और कर्मकांडों के खिलाफ थे । फिर भी उन्होंने धर्म और संस्कृति को शिक्षा के लिए आवश्यक माना है । धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण तार्किक एवं विचारपूर्ण है। विभिन्न धर्मों की तीखी आलोचना के कारण कुछ लोग उन्हें धर्म के विरूद्ध मानते थे किंतु वे आध्यात्मिक और

सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व के प्रति सचेत थे । अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म के बारे में उनके विचार सर्वविदित हैं और वे सभी प्रमुख धर्मों को अस्वीकार करने वाले दर्शन अर्थात् मार्क्सवाद से बुद्ध के मार्ग को श्रेष्ट मानते थे । डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है ।" हिन्दू समाज के अनुसार "मनुष्य धर्म के लिए हैं" जबकि डॉ. अम्बेडकर के अनुसार "धर्म मनुष्य के लिए हैं" । डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि ऐसे धर्म का कोई औचित्य नहीं जिसमें मनुष्यता का कोई मूल्य ना हो । उन्होंने धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 'मेरे अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं या मेरी शिक्षा से समाज को जो भी लाभ हुआ है, वह मेरे अंदर की धार्मिक भावनाओं के कारण है । मुझे धर्म चाहिए, धर्म के साथ पाखंड नहीं, और इसी में अंतर समझने के लिए मनुष्य का शिक्षित होना अनिवार्य है। इसी सन्दर्भ में मूल्य आधारित शिक्षा को रा.शि.नि.-2020 में विशेष स्थान दिया गया है । रा.शि.नि भारतीय ज्ञान परम्परा, दर्शन, संस्कृति, धर्म को पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुरूप समायोजन पर बल देती है, जो बौद्धिक परिवर्तन का व्यापक आधार बन सकेगा ।

नारी शिक्षा का सिद्धान्त

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में अपने एक सम्बोधन के दौरान डॉ. अंबेडकर ने कहा कि "मैं किसी भी समाज की प्रगति का स्तर को उस समाज की नारियों की प्रगति स्तर से मापता हूँ ।" उनका स्पष्ट विचार था कि जब तक किसी भी राष्ट्र की आधी आबादी अशिक्षित रहेगी तब तक वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र की पदवी नहीं पा सकता । सच्चे अर्थों में डॉ अम्बेडकर वंचितों के मसीहा, सच्चे राष्ट्रभक्त और समाज सुधार के प्रेणता थे, इसलिए वे सदैव नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक बने रहे । अपने अनुभवों और देश-विदेश की नीतियों पर उनकी अच्छी पकड़ का परिणाम था कि उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि किसी भी सभ्य समाज की प्रगति और देश की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है । वे नारी और पुरुष दोनों को एक गाड़ी के पहियों की तरह मानते थे । उनका मत था कि जैसे गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए दोनों पहियों का समान होना आवश्यक है वैसे ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए नर और नारी दोनों का सामान रूप से शिक्षित होना । डॉ. अम्बेडकर शिक्षित नारी को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्तम्भ मानते थे । एक नारी माँ के साथ-साथ परिवार की महत्वपूर्ण इकाई होने के नाते बच्चों और परिवारीजनों के सबसे करीब होती है, और साथ ही बच्चों की पहली शिक्षिका भी । अगर वह शिक्षित होगी तो अपने बच्चों में सही तरीके से सकारात्मक लोकतान्त्रिक मूल्यों और गुणों को विकसित करने में सक्षम होगी । इसलिए, महिलाओं का शिक्षित होना निहायत ही जरूरी है । डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को नारी उत्थान का साधन मानते थे इसलिए उन्होंने सभी को शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया । रा.शि.नि.-2020 सभी के साथ-साथ महिलाओं और ट्रांस जेंडर के लिए भी सामान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है, इसके लिए रा.शि.नि.लिंग समावेशन कोष (जी.ई.आर.) स्थापित करने का प्रावधान प्रस्तावित है ।

भाषा का सिद्धान्त

डॉ. अम्बेडकर अनुसार भाषा शिक्षा का मुख्य साधन है। उनके अनुसार शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि अगर बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो बच्चे को समझने में आसानी होती है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के

अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । और अगर यह मातृभाषा में हो तो यह तीव्र गति से होता है । डॉ. अंबेडकर ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की वकालत की, लेकिन वैश्विक प्रगति के लिए उन्होंने प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विदेशी भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता बतायी । ताकि वह वैश्विक स्तर पर अपने विषय में हो रही प्रगति के प्रति जागरूक रहे और इसे समझ सके । असंख्य लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था । लेकिन तब कुछ लोगों के विरोध के कारण यह हो नहीं हो सका था। उनका मानना था कि संस्कृत पर ध्यान दिये जाने से भारतीय भाषाओं के बीच जो कटुता कुछ लोगों द्वारा पैदा की गयी है उसे दूर किया जा सकता है । रा.शि.नी.- 2020 में संस्कृत को वरियता दिये जाने की बात कही गई है । जो डॉ. अम्बेडकर के भारतीय भाषाओँ के प्रति आदर को प्रकट करता है । रा.शि.नी में भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत सहित भारतीय भाषा के विभागों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है । यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवाचार एवं शोध-अनुसंधान मातृभाषा में ही संभव है । इस नीति ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए ‘‘राष्ट्रीय शोध संस्थान" की स्थापना और भारतीय भाषाओं में शोध हेतु आवश्यक निधि का प्रावधान किया है ।

रोजगारपरक शिक्षा का सिद्धान्त

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को जीविकोपार्जन योग्य और आत्मनिर्भर बनाना भी है । जिससे वह समाज में गरिमामयी जीवन निर्वाह कर सके । डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को कौशल से जोड़ने के पक्षधर थे, क्योंकि कौशल विकास जीविकोपार्जन का सघन साधन है । उनका मानना था कि शिक्षा तभी अपने उद्देश्यों में पूर्ण समझी जाएगी जब उसके साथ कोई कौशल जुड़ा हो और वह कौशल व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन में सहायक हो । इसलिए उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया और इसे समाज में वंचित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक माना । वे किसी अमुक कार्य/व्यवसाय को किसी निश्चित जाति/समाज से जोड़ने के प्रबल विरोधी थे । डा. अम्बेडकर अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की वजह से पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगिता को आधार मानते थे । वे किसी रूढ़िवादी पाठ्यक्रम के पक्षधर नहीं थे । उन्होनें माना था कि "इस संसार में कुछ भी अमर और अंतिम नहीं है, हर चीज की जांच और परख आवश्यक है, हर चीज कारण-प्रभाव के घेरे में आती है" । कुछ भी सनातन नहीं है, यहाँ हर चीज परिवर्तनीय है। इसलिए समय के अनुरूप उनमें बदलाव होते रहना चाहिए । इस दिशा में रा.शि.नि.- 2020 में दक्षता आधारित और कौशल परक शिक्षा का प्रावधान किया गया है साथ ही कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग सीखने और प्रशिक्षुता का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है ।

शिक्षक की उपयोगिता

डा. अम्बेडकर ने पढ़ने-पढ़ाने-समझने की कड़ी में शिक्षक को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना है । वे शिक्षक को छात्र के समग्र विकास के लिए, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य की महत्वपूर्ण कढ़ी मानते थे । उनका मानना था कि अगर हमारे पास अच्छे शिक्षक होंगे, तो हम अच्छे नागरिक तैयार कर पाएंगे । वे समाज में शिक्षकों को उच्च

स्थान दिए जाने के पक्षधर थे । वे स्वयं अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान किया करते थे । इसका उदाहरण है कि, उन्होंने अपने एक शिक्षक का उपनाम 'अम्बेडकर' अपने नाम के साथ जोड लिया और जीवनभर जोडे रखा । डा. अम्बेडकर के अनुसार यह जरूरी नहीं कि हम अपने छात्रों के निष्कर्षों से सहमत हो, जो अध्यापक इस बात को अनुकूल मानता हो, वही शिक्षक बनने का हक़दार है । शिक्षक का प्रमुख कार्य विद्यार्थी की मानसिक क्षमताओं को परखना और उनको विकसित करने के सुअवसर उपलब्ध करना है । शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए कम से कम शब्दों में सटीक समझाना आना चाहिए । डा. अम्बेडकर की स्पष्ट धारणा थी कि एक अध्यापक को सिर्फ बहुपठित ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसे समाज की व्यावहारिक सच्चाइयों का भी ज्ञान हो ताकि वह विद्यार्थियों को आसपास के संसार से उदाहरण चुनकर विषयवस्तु को सरलतम तरीके से समझा सके । एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों का मित्र, मार्गदर्शक, सहयोगी और दार्शनिक होता है । उसको समाज के सभी वर्गों के प्रति सकारात्मक और समतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। । उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों की योग्यता और अन्य क्षमताओं की जाँच विशेष रूप से स्कूलों या विश्वविद्यालयों में उनकी नियुक्ति करते समय की जानी चाहिए । रा.शि.नि.-2020 के क्रियान्वयन में एक शिक्षक के अहम् भूमिका तय की गयी है उसकी शिक्षा, प्रशिक्षण, भर्ती, शिक्षण गुणवत्ता, प्रेरणा, सक्रिय सेवा शर्तों पर बराबर ध्यान दिया गया है। रा.शि.नि - 2020 के अनुसार सभी सेवाकालीन शिक्षकों को प्रति वर्ष 50 घन्टे का सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रम करना अपेक्षित है, जिससे शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता बनी रहे ।

उपसंहार

निष्कर्ष रूप में, यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन प्राचीन और आधुनिक विचारों का सम-मिश्रण है । अगर शिक्षा उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा नहीं करती तो वह निरर्थक और निराधार है । डॉ. आंबेडकर के स्पष्ट विचार थे कि वह शिक्षा जो व्यक्ति को योग्य न बनाए, समता, समानता और नैतिकता का पाठ न सिखा पाए, वह सच्चे अर्थों में शिक्षा हो ही नहीं सकती, शिक्षा तो समाज में मानवता और लोकतान्त्रिकता की रक्षा करती है, व्यक्ति की आजीविका का सहारा बनती है, उसको ज्ञान, धर्म और समानता का पाठ पढ़ाती है साथ ही समाज में जीवन मूल्यों का संवर्धन करती दिखती है । डॉ. अम्बेडकर का योगदान समतामूलक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज के एक बहुत बड़े वर्ग (दलित, वंचित और स्त्रियाँ) के शैक्षिक विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो लंबे समय से शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित थे । आज भी डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाएँ और चिन्तन विमर्श का शिक्षा सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव जारी है । वर्ष 2020 में, भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से 34 वर्ष उपरान्त एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रस्तुत की है । जिसमें यदि डॉ. अम्बेडकर के शैक्षणिक चिंतन के चश्में से देखा जाए तो भारत के पास एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने का अवसर है जो समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के सिद्धांत को बढ़ावा दे सकती है । समाजवेत्ताओं, नीति निर्माताओं, और शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों से ही डॉ. अम्बेडकर के सपने को साकार किया जा सकता है, जिससे भारत में सभी शिक्षार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है ।

सन्दर्भ सूची

कामत नंदकुमार एम. (2024). डॉ. अम्बेडकर-वैज्ञानिक नियोजन के अग्रदूत. द नवहिंद टाइम्स. www.navhindtimes.in

कुमार अनीश (2023). शिक्षा का लोकतान्त्रिक मूल्य और डॉ. भीमराव अम्बेडकर. जनपथ. www.junputh.com

तिरदिया हेमाराम एवं कटारिया कान्ता (2022). डॉ. भीमराव अम्बेडकर का शिक्षा दर्शन. अपनी माटी ई-पत्रिका. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान).

नंद, समन्वय (2020). गांधी व अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020. भारतीय बस्ती. www.bhartiyabasti.com

मीना, मीनाक्षी (2017). अम्बेडकर: हाशियाकृत समाज के शिक्षाशास्त्री. फॉरवर्ड प्रेस. www.forwardpress.in

मेहंदीरत्ता, कुलदीप (2022). डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन. विश्व संवाद केन्द्र भारत. www.vskbharat.com

सिंह, प्रीतम (2020). डॉ. भीमराव अम्बेडकर का शैक्षिक दृष्टिकोण. www.rashtriyashiksha.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार ।

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language